

प्रारूप-1
प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा
(चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)

भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023, संशोधन 02 जुलाई 2024, 3 सितम्बर 2025 तथा 30 सितम्बर 2026 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों एवं दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

- 1/ **NEET PG 2026** परीक्षा का रोल नंबर
- 2/ आल इण्डिया मेरिट रैंक क्रमांक
- 3/ पूरा नाम:
- 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
- 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) ।
- 6/ प्रवर्ग- दिव्यांग :
- 7- कोटा- ओपन/अनिवासी भारतीय कोटा (NRI)/सेवारत
- 8/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.

मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें

1. नीट पीजी 2026 चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र। ☐
2. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति । ☐
3. एमबीबीएस परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ की अंकसूची ।
4. मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में स्थाई पंजीयन (Permanent registration) के प्रमाण पत्र अथवा पंजीयन हेतु आवेदन की पावती । ☐
5. अभ्यर्थी की फोटो आई0डी0 प्रूफ ड्राईविंग लाईसेंस/आधार/वोटर कार्ड/ पेन कार्ड/ पासपोर्ट की फोटो कॉपी । ☐
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 (Financial Year 2025-26) हेतु जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (EWS) (यदि लागू हो) । ☐
7. मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ।
8. मध्य प्रदेश राज्य के तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 (Financial Year 2025-26) हेतु जारी आय प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो) । ☐

9. दिव्यांग प्रवर्ग हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID card) एवं केन्द्र सरकार के विनिर्दिष्ट दिव्यांगता केन्द्र से जारी किया गया Eligibility Certificate ☐
10. अनिवासी भारतीय कोटे से सीट आवंटित होने की दशा में प्रोफार्मा 3,4,5 के अनुसार दिया जाने वाला शपथपत्र । ☐
11. सीट लिविंग बॉण्ड प्रोफार्मा-2 (क)। एमडी/एमएस सीट लिविंग बॉण्ड। ☐
12. ग्रामीण सेवा बंध पत्र प्रोफार्मा-2(ख)। एमडी/एमएस सीट लिविंग बॉण्ड। ☐
13. सीट लिविंग बॉण्ड प्रोफार्मा-2 (ग)। पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी तथा पीजी डिप्लोमा के लिये ग्रामीण सेवा एवं सीट लिविंग बॉण्ड। ☐
14. स्टाईपेंड एवं अनुशासन संबंधी वचन पत्र प्रोफार्मा-7 ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा
भाग-ब (स्कूटनी (छानबीन) समिति द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटनी के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का एन. बी.ई. नई दिल्ली द्वारा प्रेषित **NEET PG 2026** में सम्मिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से मिलान करने के बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।

भिन्नता की स्थिति में टिप्पणी –.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं, एवं जमा किये गये मूल दस्तावेजों का अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को प्रदान किया गया ।

सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र हैं :-

- 1.....
- 2.....
- 3.....

स्कूटनी/प्रवेश समिति के अध्यक्ष
 के हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम,
 पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के
 हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के
 हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

प्रारूप-2(क)

(अनुसूची-3-9 (i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

सीट लिविंग बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

- 1- मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023, संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा संशोधन 03 सितम्बर 2025, 30 सितम्बर 2026 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है ।
- 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
 अ मैं चिकित्सा (नीट पीजी 2026) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।
 ब यह कि, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 (संशोधन 02 जुलाई 2024) में उल्लेखित नियम 15 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि एमडी/एमएस पाठ्यक्रम के लिये रु0 30,00,000/- (रु0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ । निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की स्थिति में त्याग पत्र दिये जाने/निष्कासन पर पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि/ शेष अवधि के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
 स यह कि सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

प्रारूप-2 (ख)

(अनुसूची-3-9 (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

**ग्रामीण सेवा बॉण्ड
सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)**

- 1- मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में
शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018,
संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई
2023 संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा संशोधन 3 सितम्बर 2025, 30 सितम्बर 2026 को भलीभांति पढ़कर
समझ लिया है ।
- 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूं कि :-
अ- मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर (नीट पीजी 2026) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्दिष्ट
स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।
ब- गैर सेवारत अभ्यर्थी -ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु एक वर्ष होगी एवं
बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रु0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन
देता/देती हूँ।
स- शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संबंधित संस्था
के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी
को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम पर निष्पादित करना होगा।
द- सेवारत अभ्यर्थी- ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पांच वर्ष की
होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रु0 50 लाख शासन को भुगतान करने का
वचन देता/देती हूँ।
ध- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सेवारत अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने
के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर
बॉण्ड राशि रुपये 50 लाख जमा करने होंगे।
च- यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये
गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

- 1.....
- 2.....

प्रारूप-2 (ग)

नियम 14 (ख) के उप नियम 16 एवं 17 अनुसार

पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी./पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

(राशि रु. 15,000/- मूल्य के शपथपत्र पर, पोस्ट एमबीबीएस पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिये)

(राशि रु. 25,000/- मूल्य के शपथपत्र पर, पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी कोर्स के लिये)

1- मैं, डॉ० पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... निवासी मध्यप्रदेश के
..... अस्पताल में आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी.
/ पोस्ट एम.बी.बी.एस. पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2026-27) में प्रवेश हेतु सेवारत नियमित
श्रेणी से आवंटन प्राप्त चिकित्सक हूँ।

2- मैंने मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी./ पोस्ट एम.बी.बी.एस.
पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2026-27) में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम
2018 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों को भली भाँती पढ़ लिया है।

3- मैं एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

3.1- नियमित सेवा बॉण्ड/सीट लिविंग बॉण्ड (डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम) -

अ. मैं मध्यप्रदेश के जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.
एन.बी. में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त अध्ययनरत् रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगी/करूंगा।

ब. मैं मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी. पाठ्यक्रम
पूर्ण करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम 05 वर्ष
तक चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा। निर्दिष्ट स्थान पर 05 वर्ष तक निर्बाध सेवा
न करने की स्थिति में राशि रुपये 50 लाख का भुगतान शासन को करने का वचन
देती/देता हूँ।

स. मैं मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी. पाठ्यक्रम
हेतु आवंटित सीट पर अध्ययन पूर्ण होने के पूर्व सीट छोड़ने/निष्कासित होने पर की
स्थिति में राशि रुपये 30 लाख का भुगतान शासन को करने का वचन देती/देता हूँ।

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में जिला/सिविल
चिकित्सालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

3.2- नियमित सेवा बॉण्ड/सीट लिविंग बॉण्ड (पोस्ट एम.बी.बी.एस.पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम) -

अ. मैं मध्यप्रदेश के जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.
बी.एस. पीजी डिप्लोमा में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त अध्ययनरत् रहकर पाठ्यक्रम
पूर्ण करूंगी/करूंगा।

ब. मैं मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. पीजी डिप्लोमा पूर्ण
करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर अनिवार्य रूप से न्यूनतम 03 वर्ष तक
चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा। निर्दिष्ट स्थान पर 03 वर्ष तक निर्बाध सेवा न
करने की स्थिति में राशि रुपये 30 लाख का भुगतान शासन को करने का वचन
देती/देता हूँ।

स. मैं मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. पीजी डिप्लोमा
पाठ्यक्रम हेतु आवंटित सीट पर अध्ययन पूर्ण होने के पूर्व सीट छोड़ने/निष्कासित होने
पर की स्थिति में राशि रुपये 30 लाख का भुगतान शासन को करने का वचन देती/देता
हूँ।

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में जिला/सिविल
चिकित्सालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

ROFORMA-3 (प्रारूप-3)

[As per Schedule 3 item 11(iv) (v)]
NOTARIZED AFFIDAVIT BY NRI/OCI CANDIDATE
(to be executed on rupees 1,000/- non judicial stamp paper)

(For admission in the NRI quota seats in Private Medical Colleges of MP State)

- 1) I, _____ (Name of candidate) _____ Son of
Shri/Smt. _____ aged _____ years, who is seeking admission in
_____ course through NEET MD/MS _____, NEET
MD/MS Testing ID _____ under NRI quota seats in _____ private
college, holding _____ passport and residing at
_____, mobile number _____ email id _____, am
an NRI.

Proof of being NRI/OCI:-

- i) OCI Card
- ii) NRI/OCI Status certificate issued by embassy/consulate general in the admission year
- iii) Copy of NRI passport

OR

- 2) I am being sponsored by _____ Son of /Daughter of _____ who is an NRI and is my _____ by relation as indicated below :-

S.no	Relationship with candidates	Tick Mark
1	Parents	☐
2	Grandparents, (paternal/maternal)	☐
3	Real Uncle / Aunt (paternal/maternal)	☐
4	Real Brother/ Sister	☐

OR

- 3) I am taken as a ward by _____ S/o,/ D/o, _____ who is an NRI/OCI and i am related to him in the following manner..... (describe the relationship).

Sponsor will bear the entire fee to be paid for my education for the entire tenure of the programme.

Date _____
Place _____

Signature of Candidate
Name _____
Address _____

Note :-

1. choose any one of the three alternatives applicable.

PROFORMA-4 (प्रारूप-4)

[As per Schedule 3 item 11(iv) (v)]

NOTARIZED AFFIDAVIT BY GUARDIAN / SPONSOR
(to be executed on rupees 1,000/- non judicial stamp paper)

(For admission in the NRI quota seats in Private Medical Colleges of MP State)

- 1) I, (Name of guardian/ Sponsor) _____ hereby, declare that Mr/ Ms _____
_____(Name of candidate) Son of Shri/Smt _____ aged _____
years, who is seeking admission in _____ course through NEET
MD/MS _____, NEET MD/MS Testing ID _____ under NRI quota seats in
_____ private college, holding
_____ passport and residing at
_____, mobile number _____ email id _____, is
an NRI/OCI.

Proof of being NRI/OCI:-

- i) OCI Card
- ii) NRI/OCI Status certificate issued by embassy/consulate general in the admission year
- iii) Copy of NRI passport

OR

- 2) He is being sponsored by _____ Son of /Daughter of _____ who is an NRI and is related to the candidate by relation as indicated below :-

S.no	Relationship with candidates	Tick Mark
1	Parents	☐
2	Grandparents, (paternal/maternal)	☐
3	Real Uncle / Aunt (paternal/maternal)	☐
4	Real Brother/ Sister	☐

OR

- 3) He is taken as a ward by _____ S/o,/ D/o, _____ who is an NRI/OCI and related to him in the following manner..... (describe the relationship).

Sponsor will bear the entire fee to be paid for my education for the entire tenure of the programme.

Date

Place

Signature of Legal Guardian/ Sponsor

Name _____

Address _____

Note :- Choose any one of the three alternatives applicable..

[As per Schedule 3 item 11 (v)]

NRI/OCI SPONSORSHIP CERTIFICATE

(Applicable for candidates sponsored by NRI/OCI)

The candidate is required to submit the following NRI/OCI sponsorship certificate from the sponsorer duly notarized in the country of residence of NRI/OCI at the time of admission.

I,Son/Daughter of Mr./Mrs. aged aboutyears, do hereby declare that I am a Non-Resident Indian (NRI)/ an Overseas Citizen of India (OCI) and I am herewith enclosing photocopy of my valid passport/ OCI card duly counter signed by the Indian embassy/ high commission.

That my present address is:.....

.....

.....PhoneNo.:.....

Country:.....Email:.....

.....

That I have taken Mr. /Ms.....

Daughter/Son of.....

Address.....

as my ward, who is taking admission in.....course through NEET PG (MD/MS).....(Year).....NEET PG (MD/MS) testing ID.....under NRI Quota..... and that I wish to sponsor him/her as a candidate in the NRI category for admission in the private Medical colleges in Madhya Pradesh.

That I undertake to bear the entire fee of Mr./Ms.....to study in the PG Programme till he/she successfully completes the program. That the candidate Mr/Ms. is related to me as..... (describe relationship).

I am holding Passport No.....of country date of issue.....Declared on this day of2025.

Signature of the Sponsor

Name.....

Email:-

Place of Residence.....

.....

Verification by notary

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and be verified at..... (place) on this the(day) of(month),(year).

Name

Solemnly affirmed and signed in my presence on this..... day of.....

Place :

Date :

Notary public

प्रारूप-6

//वचन पत्र//

(स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय रु. 200/के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं,.....पुत्र/पुत्री.....
नीट पीजी वर्ष.....रोल नंबर.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधनों का भली-भाँती अध्ययन कर समझ लिया गया है।
2. मुझे शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड (यदि लागू हो) का संज्ञान है, एवं मैं उक्त निर्धारित शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड से सहमत हूँ।
3. मैं सदैव IMC Regulation 2002 (professional, etiquette and ethics) का पालन करूंगा/करूंगी एवं पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता, रेगिंग एवं अन्य अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होगी। मैं किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहूंगा/रहूंगी एवं किसी भी हड़ताल (Strike) में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी। संलिप्तता पाये जाने पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 17 (3) के अन्तर्गत मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
4. मैं शासन के विधि द्वारा स्थापित समस्त अधिनियम तथा समय-समय पर जारी समस्त कार्यपालिक निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

वचनग्रहीता

मेरे द्वारा वचनपत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है जिसका सत्यापन आज दिनांक को स्थान में मेरे द्वारा सत्यापन किया गया।

वचनग्रहीता

(1) गवाह :-

नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....

(2) गवाह :-

नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....

(3) पिता/अभिभावक का नाम -

पता

मो.नं.....

ईमेल.....